"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2009—आश्विन 23, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

क्रमांक 7082/डी. 176/21-अ/प्रा./छ. ग./09.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 03 सन् 2009) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 3 सन् 2009)

पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) अध्यादेश, 2009

पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत:, राज्य विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) छत्तीसगढ़ अध्यादेश 2009 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह "राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्र. 26 सन् 2004) का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्र. 26 सन् 2004) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा 9 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (8) में शब्द "जो पांच वर्ष से अधिक अवधि की नहीं होगी" के स्थान पर, शब्द "पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, पद धारण करेगा" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 9 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (10) में शब्द "चार वर्ष की अवधि तक" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष की अवधि के लिए" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

क्रमांक 7082/डी. 176/21-अ/प्रा./छ. ग./09.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 3 of 2009)

PANDIT SUNDER LAL SHARMA (OPEN) UNIVERSITY, CHHATTISGARH (AMENDMENT) ORDINANCE, 2009

An Ordinance further to amend the Pandit Sunder Lal Sharma (Open) University, Chhattisgarh Act, 2004 (No. 26 of 2004).

Promulgated by the Governor in the Sixtieth year of the Republic of India.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title, Extent and Commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Pandit Sunder Lal Sharma (Open) University (Amendment) Chhattisgarh Ordinance, 2009.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the "Official Gazette".

The Pandit Sunder Lal Sharma (Open) University, Chhattisgarh Act, 2004 (No. 26 of 2004) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, The Pandit Sunder Lal Sharma (Open) University, Chhattisgarh Act, 2004 (No. 26 of 2004) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3 and 4.

Amendment of Section 9.

3. In the Sub-section (8) of Section 9 of the Principal Act, the words "for a period not exceeding five years" shall be substituted by the words "who shall hold office for a term of five years or till he attains the age of 70 years, whichever is earlier".

Amendment of Section 9.

4. In the Sub-section (10) of Section 9 of the Principal Act, the words "for a term of four years" shall be substituted by the words "for a term of five years".

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.